रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY,

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 184] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 1989/आश्विन 5, 1911
No. 184] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 1989/ASVINA 5, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 167 आईटीसी (पीएन)/88—91 नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1989

विषय :— क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के चिकित्सा उपस्कार में सुधार के लिए 1989-90 के लिए 616 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के लिए चिकित्सा उपकरणों और सेवाओं की खरीद और उनके स्थापन भारतीय पत्तनों तक परिवहन तथा उनके अंतर्देशीय परिवहन के लिए लाइसेंसिंग शर्तें ।

फाइल सं० आईपीसी/23(58)/88—91 :—1989-90 के लिए 616 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के चिकित्सा उपस्करों में सुधार हेतु चिकित्सा उपकरणों और सेवाओं की खरीद और उनके स्थापन/भारतीय पत्तनों तक परिवहन तथा उनके अंतर्देशीय परिवहन पर लागू होने वाली शर्तें, जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती है ।

तेजेन्द्र खन्ना, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 167 आई टी सी (पी एन)/88-89 दिनांक 27-9-89 का परिशिष्ट ।

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के चिकित्सा उपस्कर के सुधार हेतु वर्ष 1989-90 के लिए 616 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों हेतु चिकित्सा उपस्कर की खरीद करने और आवश्यक सेवाओं को स्थापित करने/उपस्कर का भारतीय बन्दरगाहों पर परिवहन और उसके आन्तरिक परिवहन के सम्बन्ध में लाइसेंसिंग शर्तें ।

खण्ड-1 सामान्य शर्तें

1(1) वर्ष 1989-90 के लिए जापानी अनुदान सहायता की 616 मिलियन येन धनराशि को निम्न कार्य के लिए प्रयोग करने का निश्चित किया गया है :—

(1) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के लिए फैट स्कैन्र्स और अनुपूरक उपस्कर और आवश्यक सेवाओं की

स्थापना करने के लिए आयात उपस्कर का परिवहन करने के लिए (189 मिलियन येन)।

(2) मद्रास कैंसर संस्थान के लिए डायगनोस्टिक उपस्कर और आवश्यक सेवाओं की स्थापना के लिए आयात/उपस्कर का परिवहन करने के लिए (234.6 मिलियन येन) 234.6 मिलियन येन में से 26.5 मिलियन येन की धनराशि को जापान से परामर्शी सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए रखा गया है।

1(2) इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत आयात लाइसेंस जिसकी धनराशि 677 मिलियन येन (सी०आई० एफ०) से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसे आयातक के नाम में और उस पर "1989-90 के लिए जापानी अनुदान सहायता 616 मिलियन येन" अभिलेखित किया जाना चाहिए। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस में (एस/जे०एन०) कोड होगा। तथापि, खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाली मदों के लिए किसी आयात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

1(3) इस सहायता अनुदान के अन्तर्गत उपस्कर और सेवाओं की अधिप्राप्ति जापान से की जाए। खरीद आदेश केवल जापानी संभरकों को ही दिये जाएं।

1(4) आयात लाइसेंस को सी०आई०एफ० आधार पर जारी किया जाएगा और आरम्भ में इसकी वैधता 31-3-90 तक की होगी।

1(5) संविदा में जापानी संभरक द्वारा भारतीय बैंक, टोकियो को नौवहन प्रलेखों के प्रस्तुतीकरण पर नकद अदायगी करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें वितरण अवधि के लिए निम्नप्रकार से उल्लेख किया जाए। "वितरण को 15-3-90 तक पूरा किया जाए"।

1(6) ठेके की जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत बीमा भाड़ा मूल्य येन में (येन की भिन्न के बिना) अभिव्यक्त होना चाहिए और उसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो, तो वह शामिल नहीं होना चाहिए। किसी भी हालत में संविदा का मूल्य किसी अन्य मुद्रा में अभिव्यक्त नहीं किया जाना चाहिए।

जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य और भाड़ा राशि को अलग-अलग दर्शाया जाए परन्तु संविदा में यह स्पष्टीकरण कर दिया जाना चाहिए कि क्या भाड़ा वास्तविक आधार पर अदा किया जाएगा या भाड़ा प्रभारों, वास्तविक प्रभारों को मद्दे नजर रखे बिना ही अदा किया जाएगा।

1(7) खरीद संविदा केवल जापानी येन में और जापानी राष्ट्रिकों के साथ की जाए।

1(8) इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति खुली निविदा के आधार पर की जाएगी और वह जापानी संभरकों तक सीमित होगी और ठेका निम्नतम मूल्यांकन वाले एवं तकनीकी रूप से स्वीकार्य बोलीकार को दिया जाएगा। यदि किसी मामले में यह सुझाया जाता है कि इस अनुदान के अन्तर्गत माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति सीधी बातचीत के जरिए की जाए तो आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग, वित्त मंत्रालय) के माध्यम से जापान सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाए।

खण्ड-2 संभरण ठेके में निम्नलिखित उपबन्धों को विशेषतया शामिल किया जाए।

2(1) ठेके की व्यवस्था वर्ष 1989-90 के लिए 616 मिलियन येन अनुदान सहायता के सम्बन्ध में 27 जून, 1989 को हुए भारत सरकार और जापान सरकार के बीच समझौते के अनुसरण में और दोनों सरकारों की स्वीकृति के अध्यधीन की जाए।

2(2) सम्भरकों को अदायगियां "अदायगी के लिए प्राधिकार" (ए/पी) जोकि नियंत्रक, सहायता लेखा और लेखा परीक्षा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यूको बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा 1989-90 के लिए जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत भारतीय बैंक टोकियो के नाम में जारी किया जाएगा।

2(3) जापानी सम्भरक ऐसी सूचना और प्रलेखों को जोकि एक ओर भारत सरकार की ओर से और दूसरी ओर जापान सरकार की ओर से अपेक्षित हो, प्रस्तुत करने को सहमत होगा।

2(4) जापानी सम्भरक भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श से पोतलदान व्यवस्था के लिए सहमत हो जाता है तो वह पोतलदान के कम से कम छः सप्ताह पूर्व निहित माल के वितरण कार्यक्रम के सम्बन्ध में भारतीय दूतावास को सूचित करेगा ताकि उचित व्यवस्था की जा सके। आपवाद के मामलों में यदि आयातक चाहे तो इस अवधि को कम किया जा सकता है। जापानी सम्भरक को प्रत्येक पोतलदान का आवश्यक विवरण देते हुए एक तार आयातक को और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजने के लिए सहमत होना चाहिए।

खण्ड-3 भारत सरकार तथा जापान सरकार द्वारा ठेके की स्वीकृति।

3(1) जैसे ही आदेशों को अन्तिम रूप दे दिए जाएं लाइसेंसधारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की पांच प्रतियां जापानी सम्भरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रय आदेश के साथ जापानी सम्भरक द्वारा

लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश की 5 प्रतियां (एक मूल और 4 फोटो कापियां) या सभी प्रकार से फोटो कापियां जिनके साथ निविदा मूल्यांकन रिपोर्ट की दो प्रतियां और दो प्रतियों के साथ अनुबन्ध-1 के प्रपत्र में "ए/पी जारी करने के लिए आवेदन पत्र" में अवर सचिव (टी०सी०) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए। उपर्युक्त प्रक्रिया संविदा की विषय वस्तु या उसकी कीमत के आवश्यक उपान्तरणों से उत्पन्न सभी संविदा संशोधनों के लिए भी लागू होगी।

3(2) वित्त मंत्रालय (डी०ई०ए०), जापान अनुभाग 1989-90 के लिए 616 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अधीन वित्तदान देने के लिए संविदा की दो प्रतियां जापान सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा, और इसी के साथ-साथ उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेजों का एक-एक सेट लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारतीय दूतावास टोकियो को भी भेजा जाएगा।

3(3) जापान सरकार से ठेका अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग का जापान अनुभाग, नार्थ ब्लाक इसके बारे में सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यूको बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को सूचना देगा जोकि जापानी सम्भरक को भुगतान करने के लिए बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को अनुबन्ध-2 के अनुसार एक "भुगतान प्राधिकार" (ए/पी) जारी करेगा। प्राधिकार (ए/पी) की प्रतियां भारत का दूतावास, टोकियो आयातक, भारत में आयातक का बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी।

3(4) अदायगी की अनुज्ञप्ति की प्राप्ति पर बैंक आफ इण्डिया, टोकियो इस प्राप्ति के तथ्य से जापानी संभरक को सूचित करेगा और जापान सरकार, भारतीय दूतावास टोक्यो, भारत में आयातक के बैंक और सी० ए०ए० और ए० को भी सूचित करेगा।

3(5) पोतलदान करने के बाद जापानी सम्भरक अपने बैंकरों के माध्यम से (ए/पी) में उल्लिखित दस्तावेज बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इण्डिया टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि जापानी सम्भरक को अपने बैंकरों के माध्यम से रिलीज करेगा।

3(6) जापानी सम्भरक को भुगतान की व्यवस्था करने के लिए बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को देय बैंकिंग प्रभारों के भुगतान की व्यवस्था भारत का दूतावास, टोकियो द्वारा आयातक विभाग की ओर से की जाएगी। इस प्रभार के समान रुपये की अदायगी सी०ए०ए०एण्ड ए०, नई दिल्ली मे उपयुक्त सूचना प्राप्त होने पर आयातक विभाग द्वारा लेखा नियंत्रक, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को की जाएगी।

खण्ड-4 रुपया जमा करने के लिए उत्तरदायित्व

4(1) मूल विनियम पोत परिवहन प्रलेख निरपवाद रूप से बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भारत में आयातक के सम्बद्ध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक जो अनुबन्ध-1(ण) में उल्लिखित है की शाखा होगी उस बैंक को दस्तावेजों के वे विनिमय सैट केवल इस बात का सुनिश्चित कर लेने के बाद ही सम्बद्ध आयातक को देने चाहिए कि जापानी सम्भरक को चुकाई गई येन भुगतान की धनराशि के बराबर रुपया 12-10-1976 की सार्वजनिक सूचना सं० 103 आई टी सी (पी एन)/76 द्वारा यथासंशोधित 31-5-1974 की सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई टी सी (पी एन)/74 की शर्तानुसार सरकारी खाते में जमा कर दिया गया है।

येन भुगतान की धनराशि के बराबर रुपये की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली विनिमय दर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं० 113 आई टी सी (पी एन)/88-91 दिनांक 6-4-89 में निर्धारित मुद्रा विनिमय की मिश्रित दर होगी या वह दर होगी जो कि मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए। इस सम्बन्ध में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे ही आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस बात का सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित भारतीय बैंक का होगा कि आयात दस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले देय धनराशि सरकारी खाते में विधिवत रूप से जमा कर दी गई है। आयातक को भी अपने बैंकरों से दस्तावेज लेने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि देय धनराशि सरकारी खाते में ठीक से जमा कर दी गई है। आयातक की यह जिम्मेवारी है कि वह यह सुनिश्चित करें कि असाधारण परिस्थितियों में सीमाशुल्क प्राधिकारियों से माल का वितरण प्राप्त कर लेने पर धनराशि सरकारी लेखे में शीघ्र जमा कर दी गई है। यदि आयातक माल की सुपुर्दगी लेने से पहले सरकार को देय धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसे आगे और प्राधिकार पत्र जारी करना रोक दिया जाए। और मामले की रिपोर्ट मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को दी जानी चाहिए ताकि ऐसे आयातक को आगे और लाइसेंस जारी न किया जा सके। केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा किए गए ऐसे आयातों के सम्बन्ध में कोई ब्याज प्रभार लागू नहीं होंगे। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया जमा करना चाहिए वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवान्सेज 8443-सिविल डिपोजिट्स फार परचेजिज एक्सेट्रा एब्राड पर्चेजिज अण्डर ग्रांट एण्ड फ्राम दि गवर्नमेंट आफ जापान" फार 1989-90-ग्रान्ट

फार परचेजज आफ मेडिकल इक्विपमेंट एण्ड सर्विसेज नेसेसरी फार दी इन्सटालेशन/ट्रांसपोरटेशन आफ इक्विपमेंट है।

4(2) चालान के दाएं कोने में कोड सं० 5130000009 दर्शाते हुए उपर्युक्त धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली में सरकार की साख में नकद जमा होनी चाहिए या यदि यह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा या इसके अनुषंगी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (हुण्डी कर्त्ता) में प्राप्त एक हुण्डी (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इण्डिया तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (हुण्डी शाखा और प्रापक) में सार्वजनिक सूचना सं० 74/आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-1974 और सं० 103-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 12-10-1976 में निर्धारित सरकारी लेखे में जमा करने के लिए धन परेषण करना चाहिए।

4(3) सरकार द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के अन्दर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी उपर्युक्त निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-1976 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-74 के कालम 2 में निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे" में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए:—

(क) वित्त मंत्रालय भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए०पी०) की संख्या और दिनांक।

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके सम्बन्ध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाते हैं।

(ग) जापानी सम्भरक को भुगतान करने की तिथि।

(घ) चुकाए गए ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए ये गिना गया है।

(ङ) जमा की गई कुल धनराशि।

तत्पश्चात सी०ए०ए० एण्ड ए० द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों की प्रतियों को संलग्न करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी०ए०ए० एण्ड ए० को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी:—भारत में आयातक का बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपये का निक्षेप बैंक आफ इंडिया, टोकियो से अदायगी की सूचना और विनिमय पोतलदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी०ए०ए० एण्ड ए० वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

4(4) भारत में सम्बद्ध बैंक को लाइसेंस को मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए। अपेक्षित "एम" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई को भेजी जानी चाहिए।

खण्ड—5 विविध प्रावधान

5(1) अनुदान सहायता के उपयोग की रिपोर्ट

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद आयातक को पोतलदानों और उनके अधीन किए गए भुगतानों के संबंध में और जो पोतलदान शेष बाकी है, उनके विषय में एक मासिक रिपोर्ट सी०ए०ए० एण्ड ए०, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यूको बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिये।

आयातक को चाहिए कि वह इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत माल से संबंधित किसी ऐसी विशेष शर्त से सम्भरक को अवगत कराएं जो समझौते का पालन करने में सम्भरकों पर प्रभाव डालती हों।

5(2) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि आयातक और संभरकों के बीच में यदि कोई विवाद होगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतानों से पूर्व सम्भरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें साफ-साफ "भुगतानों के नियमों में" अनुबन्ध-1 में आयातक द्वारा दर्शायी जानी चाहिए। विवादों से निपटने की शर्त ठेके की शर्तों में शामिल होनी चाहिये।

5(3) भावी अनुदेश

आयातों या उसके सम्बन्ध में उठने वाले किसी मामले या सभी मामलों से सम्बन्धित जापान से 1989-90 के लिए अनुदान सहायता के अधीन सभी आयातों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निदेशों या आदेशों का आयातक को तुरन्त पालन करना होगा।

5(4) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त खण्डों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाही की जायेगी।

5(5) अनुबन्धों की सूची

अनुबन्ध—1 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए०पी०) जारी करने के लिए आवेदन करने का प्रपत्र।

अनुबन्ध—2 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) का प्रपत्र।

अनुबन्ध-1

"भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र

संख्या दिनांक

सेवा में

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रण,
वित्त, मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,

इण्डियन आयल भवन, 5वां तल, बी विंग, जनपथ,
नई दिल्ली-110001

विषय :—1989-90 के लिए 616 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत चिकित्सा उपस्कर और आवश्यक सेवाओं की स्थापना हेतु खरीद करना/उपस्कर का परिवहन करना।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन जापान से उपर्युक्त उपस्कर के आयात के संबंध में हम आपको निम्नलिखित ब्यौरा भेजते हैं जिससे कि आप जापानी संभरक के पक्ष में बैंक आफ इंडिया, टोकियो को भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) जारी कर सकें :—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता।

(ख) आयात लाइसेंस की सं० दिनांक और मूल्य और वह तिथि जब तक यह वैध है।

(ग) अधिप्राप्ति के तरीके। क्या यह प्रस्ताव ... पर आधारित है या सीमित खुली निविदा पर आधारित है। इस मामले में ... सहित यह निर्दिष्ट करना है कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण।

(ङ) माल का उद्गम देश।

(च) संविदा की कुल लागत और भाड़ा मूल्य (येन में)

(छ) यदि कोई हो तो, भारतीय रुपये में भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि (येन में)।

(ज) वह शुद्ध लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है।

(झ) संभरकों के साथ की गई संविदा का नाम और दिनांक।

(ञ) संभरक का नाम और पता।

(ट) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथि जिनकी संविदाओं के अन्तर्गत भुगतान देय होंगे।

(ठ) सुपुर्दगी पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथियां।

(ड) बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को भुगतान करते समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सैट की संख्या और उनका निपटान दर्शाते हुए)।

(ढ) पोतलदान अनुदेश (बाहुल्य/यानांतरण/पार्ट शिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिए)।

(ण) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता।

(त) आयातक द्वारा वचनबद्धता :—"हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि हम विदेशी संभरक को देय धनराशि के समतुल्य रुपये की पूर्ण धनराशि को सरकार द्वारा निर्धारित किया विधि से और प्रचलित दर पर सही रूप से जमा करवा देंगे। माल (आयातित सामग्री) के ... को सुपुर्दगी प्राप्त करने से पूर्व राशि शीघ्र ही जमा करवा दी जायेगी। विदेशी संविदाओं की सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में, जैसे ही हमारे द्वारा विदेशी संभरक के समक्ष बीजक अनुमोदित किए जाते हैं और संभरक को भुगतान किया जाता है वैसे ही राशि जमा करवा दी जाएगी।"

भवदीय,

अनुबन्ध-2

भुगतान के लिए प्राधिकरण सं० .....

संख्या .....एफ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक आफ इंडिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान),

विषय :—1989-90 के लिए 616 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत उपस्कर और आवश्यक सेवाओं की स्थापना हेतु खरीद करना/उपस्कर का परिवहन करना/प्राधिकार पत्र जारी करना ।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ .....को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा परिशिष्ट में दिए गए यथा संलग्न ब्यौरे के अनुसार सर्वश्री .....को .....धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की पावती के बारे में संभरक को सूचना दें और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार आयातक बैंक भारत राजदूतावास, टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट में यथा लदान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

4. आयातक द्वारा आपको दस्तावेज संभरकों एवं बैंकरों के प्रभार को भेजने आदि के भाड़े सहित अदा किए जाने वाले बैंकिंग भाड़े भारतीय दूतावास टोकियो द्वारा अदा किए जाएंगे।

5. जैसे ही जापानी संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेज आदि के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस मंत्रालय और आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए।

6. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है।

7. यह भुगतान प्राधिकार पत्र .....तक वैध रहेगा।

भवदीय,
(लेखा अधिकारी)

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक .....को उनके पत्र सं० .....दिनांक .....के संदर्भ में । उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे बैंकरों से परक्राम्य दस्तावेजों की सुपुर्दगी लेने से पूर्व अपने बैंकरों के माध्यम से रुपये निक्षेप आदि को जमा करवाने की व्यवस्था करें । यदि विशेष परिस्थितियों की वजह से मूल परिवहन दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना सीमा शुल्क प्राधिकारियों और पत्तन के प्राधिकारियों से माल की सुपुर्दगी सीधे ही प्राप्त कर ली हो, तो वहां सुपुर्दगी प्राप्त करने से पूर्व धनराशि जमा करवानी चाहिए । विदेशी संभरकों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में, जैसे ही भुगतान के लिए बीजक अनुमोदित किए जाते हैं वैसे ही धनराशि जमा करवा देनी चाहिये । शीघ्र ही और सही रूप से धनराशि जमा करवाने में असमर्थ होने पर लाइसेंसिंग शर्तों में उल्लिखित कार्रवाई की जायेगी ।

2. आयातक का बैंक .....उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक आफ इंडिया, टोकियो से दस्तावेज प्राप्त करने पर जापानी संभरकों को येन भुगतान के समतुल्य रुपया जमा करने की व्यवस्था करें । संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपये की गणना सार्वजनिक सूचना सं० 8 आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए, के अनुसार विदेशी संभरकों को भुगतान करने की तिथि की यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी यदि इस दर में कोई परिवर्तन होगा तो इसकी सूचना तुरन्त दी जायेगी । **इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सीमाशुल्क निकासी के लिए आयातक को दस्तावेजों का मूल सैट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा कराई जाती है ।**

चालान के दाएं कोने में कोड नं० 5130000009 दर्शाते हुए ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा, या इसकी अनुषंगी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी शाखा दिल्ली-6 (आदेशिती और आदाता) के नाम में और उसकी देय दर्शनी हुण्डी के माध्यम से करनी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान, सार्वजनिक सूचना सं० 233–आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 24-10-68, सं० 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं० 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है । लेखा शीर्ष जिसमें राशि जमा की जाएगी वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज 8443 सिविल डिपोजिट्स फार परचेजिस एटसैक्ट्रा एब्राड परचेजिस/ग्राण्ट ऐड फ्रोम दि गवर्नमेंट आफ जापान फार 1988-89 अन्डर हिटेल्ड हैड "616 मिलियन येन ग्रान्ड ऐड फार परचेज आफ मैडिकल इक्विपमेंट एण्ड सर्विस नेसेसरी फार इन्सटालेशन/ट्रांसपोरटेशन आफ इक्विपमेंट"।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक गाफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं० 132–आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए प्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जायेगी :—

3. लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग),
पहली मंजिल, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001।

जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचना उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिये सभी मामलों में ब्याज की चुकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए ब्याज की गणना की गई है और उसके साथ जमा किए गए तुल्य रुपये का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिये।

समुद्रपार संभरक के बैंकर के खातों सहित यदि कोई हो तो, बैंकिंग खर्चे और बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा के अन्य खर्चे इंयियन बैंक और बैंक आफ इंयिया, टोकियो शाखा द्वारा आयातक विभाग की ओर से अदा किए जाएंगे । इन प्रभारों के समतुल्य रुपये की गणना उपर्युक्त ढंग से की जाएगी और इसे नियंत्रक लेखा विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को देय धनराशि के रूप में जमा किया जाएगा जिसके संबंध में सी ए ए एण्ड ए विभाग को उपयुक्त बीजक जारी करेगा।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो।

5. अवर सचिव (जापान शाखा), वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली को उनके आई डी सं० ..... दिनांक .....के संदर्भ में)।

(लेखा अधिकारी)

MINISTRY OF COMMERCE

(Impor. Trade Control)

PUBLIC NOTICE NO. 167 ITC(PN)/88—91.

New Delhi, the 27th September, 1989

Subject:—Licensing conditions for purchase of medical equipment for Regional Cancer centre and services necessary for installation/transportation of the equipment to ports in India and those for internal transportation therein under the Japanese grant aid of Yen 616 million for 1989-90 for improvement of medical equipment of regional cancer centres.

File No. IPC/23(58)/89-91.—The terms and conditions governing purchase of medical aquipment for Regional cancer centres and services necessary for installation/transportation of the equipment to ports in India and those for internal transportation therein under the Japanese grant aid of Yen 616 million for 1989-90 for improvement of medical equipment of Regional Cancer centres as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

TEJENDRA KHANNA, Chief Controller of Imports & Exports

APPENDIX TO THE MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 167-ITC(PN)/88-91/dt. 27-9-89

Licensing conditions or purchase of medical equipment for Regional Cancer Centres and services necessary for installation/transportation of the equipment to ports in India and those for internal transportation therein under the Japanese grant aid of Yen 616 million for 1989-90 for improvement of medical equipment of regional cancer centres.

Section I. General Conditions

I. (i) The Japanese grant aid of Yen 616 million for 1989-90 is intended to be used for :—

(1) Import of CT Scanners and supplementary equipment of regional cancer centres and services necessary for installation/transportation of the equipment (Yen 189 Million)

(2) Import of Treatment equipment (including consultancy services) for the Madras Cancer Institute and services necesary for installation/transportation of the equipment (Yen 427 Million)

I. (ii) The import licences under this grant aid should be issued for an amount not exceeding Yen 677 Million (CIF) in favour of the importer and should bear the superscription "Yen 616 Million Japanese Grant Aid for 1989-90". The licence code for the first and second suffix will be "S/JN". However, no import licence is required for items covered under O.G.L.

I. (iii) The equipment and services should be procured only from Japan/ under this grant aid. The purchase order should be placed only on the Japanese suppliers.

I. (iv) The import licence will be issued on CIF basis with initial validity upto 31-3-1999.

I. (v) The contract should provide for payment on cash basis, i.e., on presentation of shipping documents by the Japanese Suppliers to the Bank of India, which should also provide for the period of delivery as follows :

"Delivery to be completed by 15-4-1990"

I. (vi) The contract value (C&F/FOB basis) should be expressed in Yen (fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's Commission, if any. In no circumstaces the contract value should be expressed in any other currency.

The FOB cost and freight amount should be shown separately but it should be clarified in the contract itself whether the freight will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated therein would be the amount payable irrespective of the actual charges.

I. (vii) The purchase contract should be entered into only in Japanese Yen with the Japanese nationals.

I. (viii) The procurement of goods and services under this grant aid should be done on the basis of an open tender confined to Japanese suppliers and the contract awarded to the lowest evaluated and technically acceptable bidder. In case it is proposed to procure the goods and services under this grant on direct negotiation basis prior approval of the Govt. of Japan may be obtained through the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

Section II. The following provision should specifically incorporated in the supply contract :

II. (i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 27th June, 1989 between the Government of India and Government of Japan concerning the Gran Aid of Yen 616 million for 1898-90 and will be subject to the approval of both the Governments.

II. (ii) Payments to the suppliers shall be made through an 'Authorization to Pay' (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jamnath Bhavan, Vth Floor 'B' Wing Jamnath, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1989-90.

II. (iii) The Japanese suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

II. (iv) The Japanese supplier agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require it this period of notice may be reduced. The Japanese suppliers should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section III. Contract Approval by Government of India and Japan.

III. (i) As soon as the orders are finalised, the importer should forward to the Under Secretary (TC), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi, 5 copies of the contract (one original and 4 photocopies) duly signed by both parties or purchase orders by the Indian importer placed on the Japanese supplier supported by order confirmation in writing by the Japanese supplier or their photo copies complete in all respects together with two copies of the tender evaluation report and two copies of the "Request for issue of A|P" in the form at Annex I. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

III. (ii) The Ministry of Finance (DEA), Japan Section will arrange to send two copies of the contract to the Government of Japan for their approval for financing under the Japanese Grant Aid for 1989-90 of Yen 616 million, and one set of the documents mentioned in (i) above will also be sent to the CAA&A and the Embassy of India in Tokyo simultaneously.

III. (iii) On receipt of the contract approval from the Government of Japan, Japan Section of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, will inform the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Janpath Bhavan, Vth Floor, 'B' Wing Janpath New Delhi-110001 of the same who will issue an 'Authorisation to Pay' (A|P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure II for making payment to the Japanese supplier. Copies of the A|P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, impotrer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

III. (iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A|P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the Japanese supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA&A.

III. (v) The Japanese supplier shall, after effecting shipment present through his bankers the documents specified in the A|P to the BOI, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Japanese supplier through his bankers.

III. (vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo, the impotrer's Bank in India and Japanese supplier shall be paid by the Embassy of India, Tokyo on behalf of importing Department, Rupee equivalent of these charges will be paid by the importing Deptt. to the Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, New Delhi on receipt of suitable advice from the CAA&A, New Delhi.

Section IV. Responsibility for rupee deposit

IV. (i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks as mentioned in (o) in Annexure I who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen payments made to the Japanese supplier is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 74-ITC (PN)|74 dated 31-5-1974 as modified under public Notice No. 103-ITC(PN)|74 dated 12-10-1976.

The Exchange rateto be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 113-ITC(PN) 88—91 dated 6-4-1989 or that may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange control circulars of the Reserve Bank of India, Any change in this regard will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers It is the responsibility of the importer to ensure that the amounts due are correctly deposited into the Government account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities under exceptional circumstances. In case the importer fails to deposit the amounts due to Government before taking delivery of the goods, the issue of further A|P to him may be stopped and the matter reported to the CCI&E so that no further import licence is issued to such an importer. No interest charges are recoverable in respect of imports made by Central Government Departments. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances-8443-Civil Deposits-Deposits for purchases etc. abroad-purchase under Grant Aid from the Government of Japan-for 1989-90"-Grant for purchase of the medical equipment and services necessary for the installation|transportation of equipment.

IV. (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the Challan or in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible, should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawer and payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices. No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976.

IV. (iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the Importers|their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice. No. 74-ITC(PN)' 74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976 is invariably indicated in the column "ful particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

(a) Ministry of Finance 'A|P. (Authorisation to pay) No. and date.

(b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of Payment to the Japanese supplier.

(d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

(e) Total amount deposited.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A|P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payment and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is informed immediately thereafter.

IV. (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite 'S' Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section V—Miscellaneous provisions

V. (i) Reports on the utilisation of the Grant Aid.—The importer should send a monthly report after the A|P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

The importer should appraise the supplier of any special provisions in the import of goods under this Grant Aid which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

V. (ii) Disputes.—It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the importer and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure & under "Terms of Payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

V. (iii) Future instructions.—The importer shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the imports and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1989-90 from Japan.

V. (iv) Breach or violation.—Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

V. (v) List of Annexure :

Annexure I : Request for issue of A|P.

Annexure II : Form of A|P.

ANNEXURE I

"REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO PAY"

No.

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,

Ministry of Finance,

Department of Economic Affairs,

Janpath Bhavan, Vth Floor, 'B' Wing,

Janpath, New Delhi 110001.

Subject : Purchase of medical equipment and services necessary for the installation|transportation of the equipment under the Japanese Grant Aid of Yen 616 million for 1989-90.

Sir,

In connection with the import of above mentioned equipment from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A/P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Japanese suppliers concerned :—

(a) Name and address of Indian Importer.

(b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement whether it is based on direct purchase or limited open tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods.

(f) Gross C&F or FOB value of contract (in Yen).

(g) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any, payable in Indian rupees.

(h) Net C&F or FOB value (in Yen) for which the A/P is required.

(i) No. & date of the contract with Japanese suppliers.

(j) Name & address of the Japanese Supplier.

(k) Payment terms & probable dates on which payments under the contract will fall due.

(l) Expected date of completion of deliveries.

(m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(n) Shipment instructions (indicate if transhipment/partshipment permitted or not permitted).

(o) Name and address of Importer's bank in India.

(p) Understanding by the importer—"We hereby undertaken to make full and correct deposit of the rupee equivalent etc., of the payment made to the foreign supplier in the manner and at the rate prescribed by Government. The deposits will be made promptly before taking delivery of each consignment of the goods (material importer). In case of payments for services of foreign nationals, the deposits will be made as soon as the relevant invoices of the foreign supplier are approved by us and the payments made to the suppliers".

Yours faithfully,

ANNEXURE-II

No. F.

Government of India

MINISTRY OF FINANCE

Department of Economic Affairs

New Delhi, the..... 198

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan)

Subject : Purchase of equipment and services necessary for the installation/transportation of the equipment under Japanese Grant Aid of Yen 616 million for 1989-90. Issue of Authorisation to Pay.

Dear Sir,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated. ....entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen. ....to M/s.....as per details given in the appendix.

2. Please advise the Supplier of the fact of receipt of this Authorisation to Pay (A/P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan, Importers Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payment to the Suppliers in terms of the A/P will be made on the basis of shipping documents as indicated in the Appendix.

4. Banking charges including, charges for handling documents and charges of Overseas Suppliers, Bankers if any payable to you by the importer, will be paid by the Embassy of India, Tokyo.

5. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents presented by the Japanese supplier an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importr's Bank.

6. No amendment to this A/P may be advised in the absence of a specific authority from this Ministry.

7. This A/P will remain valid upto.....

Yours faithfully,

(.....)
Accounts Officer

Copy forwarded to :—

1. Importer.....with reference totheir letter No.....dated.....

They are requested to arrange to deposit through their Bankers, the rupee deposits etc. at the prescribed rate and manner, before taking delivery of the negotiable documents from the Bankers. In case due to exceptional circumstances delivery of goods is obtained directly from the Customs and port authorities without furnishing the original shipping documents, the deposits should be made before taking the delivery. In the case of payments for services rendered by foreign Nationals, the deposits should be made as soon as the relevant invoices are approved for payment. Failure to make the deposits promptly and correctly may entail action as mentioned in the Licensing conditions.

2. Importer's Banker..... They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the Japanese suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Japanese suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Any change in this rate will be intimated if and when made. It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the Challan or in the SBI, Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the SBI or its subsidiaries or any one of the Nationalised Bank (Drawer) drawn on and made payable to the SBI, Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976. The head of account to be credited is "K-Deposits & Advances-8443-Civil Deposits—Deposit for purchases etc. abroad purchases under Grant Aid from Government of Japan for 1988-89" under detailed head 616 million grant aid for purchase of the medical equipment and services necessary for installation|transportation of equipment.

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi of the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-71 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

3. The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Janpath Bhavan, Vth Floor, 'B' Wing, Janpath, New Delhi-110001.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

Banking charges of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers, bankers, if any, would be paid by the Embassy of India, Tokyo, on behalf of the importing Deptt. Rupee equivalent of these charges will be calculated in the above manner and deposited in favour of Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, New Delhi. For this purpose CAA&A will issue suitable advices to the Department concerned.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary (TC), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

(.....)

Accounts Officer

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054.
1989